मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना

छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरोहरों से रू-ब-रू होंगे युवा

छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से राज्य के लोगों को परिचित कराने और प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरुकता लाना आवश्यक है। इसके अलावा इसका प्रचार-प्रसार भी जरूरी है। ऐसे में युवाओं को पुरानी संस्कृति और धरोहरों से रू-ब-रू कराने के लिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकारी और अर्द्ध सरकारी स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं को ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास, पुरातत्व महत्व व संस्कृति की समझ विकसित की जाएगी।

ऐसे ले सकेंगे योजना का लाभ

विभिन्न जिलों के तीन स्कूल व कॉलेज का चयन जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल व कॉलेज को धरोहर दर्शन के लिए 10 हजार रुपए जिला कलेक्टर के माध्यम से दी जाएगी। इस राशि से स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को धरोहर दर्शन कराए जाएंगे और राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रतिवेदन व छायाचित्र/वीडियो कलेक्टर के माध्यम से संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय को उपलब्ध कराए जाएंगे।

धरोहर मित्र की होगी नियुक्ति मिलेंगे 5 हजार रुपए

धरोहर दर्शन के लिए धरोहर मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जो कि राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थल पर आने वाले स्कूलों/कॉलेज के विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। 58 संरक्षित स्मारकों व स्थलों पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को धरोहर मित्र के रूप में मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें प्रतिमाह पांच हजार रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे। धरोहर मित्रों को संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में

बड़ी क्रांति

- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा।
- मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जायगी, विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन कराया जाएगा

इसी प्रकार मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का उद्देश्य राज्य शासकीय-अर्द्धशासकीय (अनुदान प्राप्त) स्कूलों महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अंचल के ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जागरूक करने तथा उनमें धरोहरों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराने स्कूलों-महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना है। 'मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना' हेतु प्रतिवर्ष राज्य के प्रत्येक जिले के 3 स्कूल/महाविद्यालय का चयन किया जायेगा।

इन दोनों ही योजनाओं में स्कूलों-महाविद्यालय और शासकीय कार्यालयों के चयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति होगी। समिति में पुलिस अधीक्षक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा नामांकित कार्यालयीन प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामांकित व्यक्ति तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य होंगे। उक्त दोनों योजना का प्रशासनिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग होगा तथा इनके क्रियान्वयन हेतु नोडल कार्यालय संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर होगा।

134. प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जन जागरूकता विकसित करने एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए **मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना** प्रारंभ की जायेगी। इसके अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर **धरोहर मित्र** नियुक्त किये जायेंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु अनुदान की सुविधा दी जायेगी।